निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (शo)

(सं0 पटना 658) पटना, वृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

29 जुलाई 2011

सं0 22 / नि0सि0(सिवान0)–11–08 / 2004 / 934—श्री मुन्नी लाल रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज के विरूद्व नहर संचालन में नियुक्त मजदूरों का भुगतान सादे कागज पर प्रमाणक के तौर पर करने, प्रमण्डलीय चतुर्थकर्मियों के वर्दी मद में 44,700 रु0 (चौवालीस हजार सात सौ रूपये) की निकासी कर वर्दी खरीदने एवं बिक्री संबंधी पंजी अपने पास रखने आदि आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय ज्ञापांक 734, दिनांक 13 जुलाई 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी तथा प्रथम आरोप प्रमाणित पाया गया, जिसमें मजदूरों का भुगतान सादे कागज पर किये जाने का गंभीर आरोप है।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रजक को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः–

(1) निन्दन वर्ष 2003–04

(2) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 527, दिनांक 10 जुलाई 2008 द्वारा श्री मुन्नीलाल रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को उपर्युक्त दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्व श्री रजक द्वारा पुनर्समीक्षा अभ्यावेदन पत्रांक 13, दिनांक 11 जनवरी 2010 (अनु0 सहित) समर्पित किया गया। समर्पित पुनर्समीक्षा अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा

के क्रम में पाया गया कि पुनर्समीक्षा अभ्यावेदन में दण्ड को संशोधित करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अतः पुनर्समीक्षा अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री मुन्नी लाल रजक, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमण्डल सं0 3, अनिसाबाद, पटना को उपर्युक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 658-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in